REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 11 | AUGUST - 2024

लैंगिक समानता में महिला आयोग की भूमिका

संगीता कुमारी
शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, जे०डी० वीमेंस कॉलेज, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना

प्रो० (डॉ०) इरा यादव
राजनीति विज्ञान विभाग, जे०डी० वीमेंस कॉलेज, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय, पटना.

सारांश

भारत में महिला आयोगों की स्थापना वृहत वादे और उच्च आकांक्षाओं के साथ की गई थी, जहाँ इन्हें राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए समर्पित संस्थानों के रूप में परिकल्पित किया गया था, लेकिन समय गुजरने के साथ महिलाओं से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनकी कार्यप्रणाली एवं प्रतिक्रियाओं की आलोचनात्मक समीक्षा करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है। मणिपुर में महिलाओं की दुर्गति, जिससे मानवीय गरिमा एवं अधिकारों की क्रूर उपेक्षा की चिंताजनक स्थिति सामने आई है, इन आयोगों के कार्यकरण की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, जो आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार का सलाह देता है । इसका गठन जनवरी 1992 में भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत् किया गया था, जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में परिभाषित किया गया था। महिला आयोग का उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जड़े मुद्दों एवं चिंताओं के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करना है । दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरियों में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषय उसके अवलोकन के दायरे में शामिल रहे हैं, महिला आयोग हिंसा, भेदभाव एवं उत्पीड़न की शिकार या अपने अधिकारों से वंचित महिलाओं की शिकायतें भी स्वीकार करता है और मामलों की जाँच करता है । राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का लगभग 34 वर्ष होने जा रहे है। जिसमें आयोग ने महिला के अधिकारों के संरक्षण में काफी सफलता भो पायी है तो कही कही अपने कार्यो में विफल भी रही है। जिससे महिला आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है । प्रस्तुत आलेख में महिला आयोग के अधिकार कार्य, उसकी भूमिका व चुनौतियाँ जिनका सामना वह कर रही है जिसके लिए गहन रूप से समझने का प्रयास किया गया है।

मूल शब्द :– राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिकार, कानून, सरकार, संवैधानिक निकाय, नीति, अधिनियम, लगिक भेद–भाव ।

प्रस्तावना :–

राज्य महिला आयोग (State Com & missions for Women) राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा, भारत के विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में राज्य महिला आयोगों का भी गठन किया गया है। ये आयोग सम्बन्धित राज्य अधिनियमों या आदेशों के तहत् गठित किए गए हैं और राज्य महिला आयोग के समान ही कार्य और शक्तियाँ रखते हैं वे राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश, जिनके पास महिलाओं के लिए अपने स्वयं के आयोग है

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल

महिला आयोग के उद्देश्य एवं कार्य

उद्देश्य :–

महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व :– राष्ट्रीय महिला आयोग का प्राथमिक उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व और पक्ष समर्थन करना है वे महिलाओं के मुद्दों एवं चिंताओं को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और समाज में महिलाओं समक्ष विद्यमान विभिन्न चुनौतियों को हल करते है ।

नीतिगत सलाह :– महिला आयोगों को महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देने का कार्य सौंपा गया है. वे लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने से सम्बन्धित नीतियों एवं विधान को आकार देने के लिए मूल्यवान अनुशंसाएं और सुझाव प्रदान करते हैं ।

संवैधानिक प्रावधानों की सुरक्षा :– महिला आयोग भारतीय संविधान के तहत महिलाओं को प्रदत्त सुरक्षा उपायों से सम्बन्धित सभी मामलों की जाँच एवं परीक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। वे सुनिश्चित करते है कि महिलाओं के लिए संवैधानिक अधिकारों और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए और प्रभावी ढंग से प्रवतित किया जाए ।

शिकायतों का प्रबंधनः– इन आयोगों को महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान करने का दायित्व सौपा गया है। वे महिलाओं के साथ भेदभाव, उत्पीड़न, हिंसा और अन्य अन्याय के मामलों की जाँच करने और समाधान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्वतः संज्ञान से कार्रवाई – महिला आयोग शिकायतों पर प्रतिक्रिया देने के अलावा महिला अधिकारों से वंचना और महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों के गैर–अनुपालन से सम्बन्धित मामलों का स्वत सज्ञान भी ले सकता है इससे उन्हें महिलाओं को प्रभावित करने वाले उमरते मुद्दों को सक्रिय रूप से सम्बोधित करने का अवसर मिलता है।

महिला सशक्तीकरण – महिला आयोग महिलाओं के आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त करने की दिशा में कार्य करता है । उनका लक्ष्य महिलाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उन्नति के अवसर सृजित करना है ।

कार्य–

अनुसंधान एवं अध्ययन– महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता से सम्बन्धित मुद्दों पर अनुसंधान और अध्ययन का कार्य करते हैं । वे साक्ष्य आधारित नीति अनुशंसाओं का समर्थन करने के लिए डेटा और सूचना एकत्र करते हैं।

पक्ष समर्थन और जागरूकता :– ये आयोग महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और सम्बन्धित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पक्षसमर्थक प्रयासों में सलग्न है वे सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

विधिक सहायता और समर्थन– महिला आयोग भेदभाव, हिंसा या अन्य अधिकार उल्लंघनों का शिकार हुई महिलाओं को प्रायः विधिक सहायता और समर्थन भी प्रदान करते है, वे महिलाओं को न्याय तक पहुँच बना सकने और कानूनी प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकने में सहायता प्रदान करते हैं ।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण –यह आयोग विधि प्रवर्तन एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण पहल की पेशकश करता है, ताकि उन्हें महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके तथा लैंगिक चुनौतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में सुधार लाया जा सके ।

नीतिगत अनुशंसाएं – महिला आयोग अपने शोध और निष्कर्षो के आधार पर प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं को दूर करने तथा अधिक लिंग समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए सरकार को नीतिगत अनुशंसाएं प्रदान करते हैं।

सहयोग और साझेदारी – ये आयोग महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयास का सृजन करने के लिए गैर–सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य सरकारी निकाय सहित विभिन्न हितधारको के साथ सहयोग का निर्माण करते है ।

महिला आयोगों के समक्ष विद्यमान चुनातियाँ :–

पर्याप्त संसाधनों और स्वायत्तता का अभाव–महिला आयोगों को प्रायः वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है वे सरकारी वित्तपोषण पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर सकने की उनकी क्षमता को बाधित कर सकता है ।

राजनीतिक हस्तक्षेपः–सत्तारूद सरकार द्वारा मनोनीत होने के कारण महिला आयोगों को उन मामलों से बचने के लिए दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जो सम्मावित रूप से सरकार या उसके सहयोगियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते है यह राजनीतिक हस्तक्षेप महिलाओं के अधिकारों क प्रति आयोग की निष्पक्षता एवं प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकता है।

सीमित जागरूकता और पहुँच – महिलाओं की एक बड़ी संख्या (विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में) महिला आयोगों के अस्तित्व और भूमिका से प्राय अवगत नहीं है। जागरूकता की कमी, चुनौतियों का सामना करने पर इन आयागों से सहायता और समर्थन ले सकने की उनकी क्षमता को बाधित करती है।

महिला आयोगों से जुड़े विभिन्न विवाद

मणिपुर घटना पर प्रतिक्रिया – मणिपुर मामले में NCW की प्रतिक्रिया की आलोचना की गई है, जहाँ वह त्वरित और सक्रिय रूप से कार्रवाई करने म विफल रहा।

मैंगलोर पब हमले पर प्रतिक्रिया– वर्ष 2009 में मैंगलोर के एक पब में महिलाओं के एक समूह पर हमले के मामले में छॅ की प्रतिक्रिया को असंवेदनशील एवं विक्टिम–ब्लेमिंग के रूप में देखा गया और इसकी व्यापक निंदा की गई इस मामले में आयोग की एक सदस्य ने पोड़िताओं पर स्वयं की सुरक्षा का ध्यान न रखने का आरोप लगाया था और शिकायत करने की उनकी अनिच्छा पर सवाल उठाया था।

यौन उत्पीड़न के आरोपों को हल करने में विफलता – वर्ष 2019 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध यौन उत्पीड़न के आरोपों पर छप की प्रतिक्रिया ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के सम्बन्ध में इसकी सक्रियता और इच्छा पर चिंताएं उत्पन्न की।

NCW की प्रमुख उपलब्धियाँ

महिला अधिकारों से सम्बन्धित कानून का सुदृढ़ोकरण – NCW ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 जैसे महिलाओं करने में मदद की है।

कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श – इसने हिंसा और यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं को कानूनी और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किया है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न–इसने कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन और इसकी निगरानी सुनिश्चित की है।

जेंडर प्रोफाइल :– इसने सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में (लक्षद्वीप को छोड़कर) महिलाओं की स्थिति एवं उनके सशक्तीकरण का आकलन करने के लिए जेडर प्रोफाइल तैयार किया है ।

बाल विवाह और अन्य कानूनी मुद्दे :–इनसे बाल विवाह के मुद्दे पर सक्रिय से कार्य किया है, विधिक जागरूकता कार्यक्रमों एवं पारिवारिक महिला लोक अदालत को प्रायोजित किया है और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961. PNDT अधिनियम 1994 भारतीय दंड सहिता 1860 तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 जैसे कानूनों की समीक्षा की है, ताकि इन्हें अधिक कठोर एवं प्रभावी बनाया जा सके ।

कार्यशालाएं और परामर्श – इसने कार्यशालाओं / परामर्शो का आयोजन किया है. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेषज्ञ समितियों का गठन किया है, लिंग जागरूकता के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए हैं और कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आदि के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया है, ताकि इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता उत्पन्न हो सके ।

प्रकाशन :–

यह नियमित रूप से राष्ट्र महिला नामक एक मासिक समाचार–पत्र का हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशन करता रहा है।

महिला आयोगों में सुधार के लिए रणनीतियाँ

पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया– महिला आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता आधारित एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए राजनीतिक विपक्ष, न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठनों सहित विभिन्न हितधारको के प्रतिनिधियों को शामिल करने से निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

सोशल ऑडिट– महिला आयोगों के प्रदर्शन, धन के उपयोग और प्रभाव का आकलन करने के लिए बाह्य एजेसियों की सहायता से नियमित रूप से इनका सामाजिक लेखा परीक्षण (Social Audit) किया जाना चाहिए. यह उन्हें जवाबदेह बनाएगा और सुधार के लिए अन्तर्दृष्टि प्रदान करेगा ।

क्षेत्रीय दौरों को प्रोत्साहन – आयोग के सदस्यों और कर्मियों को अधिक क्षेत्रीय दौरे करने, विभिन्न भूभागों में महिलाओं के साथ संवाद करने और उनकी अनूठी चुनौतियों एवं आवश्यकताओं को समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

जागरूकता और पहुँच – हेल्पलाइन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल आउटरीच जैसे विभिन्न चौनलों के माध्यम से, विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में, महिलाओं के बीच महिला आयोग के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

समानुभूति और संवेदनशीलता प्रशिक्षण:– संकटग्रस्त महिलाओं के प्रति समानुभूति और संवेदनशीलता विकसित करने के लिए आयोग के सदस्यों और कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए. इससे मामलों से निपटने में एक समर्थनकारी और पीड़िता केन्द्रित दृष्टिकोण के निर्माण में मदद मिलेगी.।

सन्दर्भ–सूची

- Verma] Sudhir (1997), "Women's Struggle for Political Space & Jaipur : Rawat Publications P, 2,5,25
- Reynolds, Andrew (1999) "Women in the Legislatures and Effectives of the World Knocking at the Highest Glass Ceiling&& World Politics, Vol 51, PP-547-72,75.
- शर्मा, प्रज्ञा (2011), श्वुमन इन इंडियन सोसाइटी, जयपुर पॉइंटर पब्लिशर्स, पेज–162,165
- चोपड़ा, पी0ए0एन0, पुरी, बी०पी०एन०, दास, एम0एन0 (2005) भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास। दिल्ली : मैकमिलन इंडिया लिमिटेड शर्मा,
- गोपीनाथ (2008), ''राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास'' जयपुर राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, शर्मा, कालूराम (2004), उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक जीवन, ''जयपुर'' राजस्थान हिन्दी ग्रंथ, अकादमी,
- जैन, हुकुमचंद और माली, नारायण, (2011), ''राजस्थान का इतिहास और संस्कृतिः विश्वकोष'' ''जयपुरः जैन प्रकाशन मंदिर
- अंसारी, एम0ए0 (2010) ''महिला और मानव अधिकार जयपुर : ज्योति प्रकाशन. ।
- कैथवास, सावित्री (2009) ग्रामीण पंचायती राज के विशेष संदर्भ : अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएँ : नए पंचायती राज के विशेष संदर्भ में, शर्मा, प्रज्ञा (2011) ''महिला विकास और सशक्तिकरण'' ''जयपुरः अविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
- सरिता बाटलीवाला (1993), ''इंपावरमेंट ऑफ वुमेन इन साउथ एशिया कांसेप्ट एंड प्रैक्टिस'', एशियन साउथ पैसिफिक ब्यूरो ऑफ एडल्ट एजूकेशन और एफ ए ओ फ्रीडम फॉर हंगर कैंपेन, एक्शन फॉर डेवलपमेंट, नई दिल्ली के तत्वावधान में।
- विशाखा दत्ता, (1995), ''एंड हू बिल मेक द चपातिस ? स्टडी ऑफ ऑल वुमन पंचायत इन महाराष्ट्र, 196–1995, एलोचना, पूणे ।
- कंट्री रिपोर्ट (1995), ''महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन, बीजिंग 5, 1995, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- जे.बी. इलसटैन (1981), ''पब्लिक मैन, प्राइवेट वुमेन मार्टिन रॉबर्ट्सन ऑक्सफोर्ड । लोकतांत्रिक सुधारों का मंच (2000) श्इनहैचिंग वुमेन रिप्रजेंटेशन इन लेजिसलेड्र्स'', मनुषी, नं. 116, जनवरी–फरवरी ।
- सुशीला काशिक (2000), वुमेन एंड पॉलिटिकल पार्टीसिपेशन, सरला गोपालन और मीरा शिवा द्वारा लिखित शोध पत्र, संपा, नेशनल प्रोफाइल ऑन वुमेन हेल्थ एंड डेवलेपमेंट कंट्री प्रोफाइल द इंडिया, भारत की स्वयंसेवी स्वास्थ्य संस्था और विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली ।
- (1997), नीकिंग ऐट द मेल बेस्टन वुमेन इन पॉलिटिक्स, महिलाओं का राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली ।
- लिसेंट टू वूमेन्स वोट एन् इंडो–ब्रिटिश इंटरेक्शन (1998) महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग और ब्रिटिश काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत, नई दिल्ली ।
- लक्ष्मी मेनन, वीना मजूमदार में उद्धृत (1979), संपा. सिंवल्स ऑफ पावर एलाइड पब्लिसर्स, मुंबई
- द न्यू दिल्ली इक्यूमेंट ऑन वुमेन इन डेवलेपमेंट, (1985) कांफ्रेंस ऑफ नोनालिंगड एंडअदर डेवलेपिंग कंट्री आन द रोल ऑफ वुमेन इन डेवलेपमेंट, नई दिल्ली, अप्रैल ।
- सुधा पाई (2001), फूलन दवी एंड सोशल चुरनिंग इन उ.प्र. इकोनामिक एंड पॉलिटिकल वीकली, Vol-XXXVI नं. 32 अगस्त 11–17
- श्रम शक्ति (1998) अनौपचारिक क्षेत्र में महिला और स्वःरोजगार में लगी महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट, नई दिल्ली ।
- सार्थेथिया स्टीफेन (1998) वुमन इन गवर्नेस ट्रेड एंड चौलेंजेस", इंटीग्रल लिबरेशन, खंड 2, नं. 4 दिसंबर, बंगलौर, सोशल एक्शन ट्रस्ट, बंगलौर ।
- ऊपा ठक्कर और रोहिनी गवनकर–वुमेन सरपंच इन महाराष्ट्र, एक अप्रकाशित शोध पत्र, 2000